न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
प्रशासन गांवो के संग अभियान/कोर्ट कैम्प – भैसाणा
पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 141/2018

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. रामचन्द्र पुत्र मूलाराम जाति माली, निवासी चांदपोल गेट के अंदर, सोजतसिटी तहसील सोजत, जिला–पाली, (राजस्थान)		1. सम्पतलाल 2. बाबूलाल 3. कैलाश पिसरान नारायण जातियान माली, निवासीगण दिल्ली दरवाजा रोड, पशु चिकित्सालय के सामने, सोजतसिटी, तहसील सोजत, जिला पाली। 4 तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः–

1. **श्री राजेश चौधरी एवं श्री कैलाश दवे अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।**
2. **श्री धर्मीचंद देवासी एवं देवाराम परिहार अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 01 व 03 अनुपस्थित।**

–: **निर्णय** :– दिनांक – **24.11.2021**

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा बासनी मुथा पटवार हल्का आलावास भू0अ0निरी0 सोजत रोड़ तह0 सोजत में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि वर्तमान खाता संख्या 186 के खसरा नंबर 205 रकबा 3.6200 हैक्टर किस्म बारानी दोयम स्थित है। **उक्त वादपत्र के साथ एक नजरी नक्शा पेश किया गया है, जो परिशिष्ट 'ए' है। जिसमें लाल स्याही से दर्शित हिस्से पर वादी काबिज व काश्त है। नजरी नक्शा वाद पत्र का आवश्यक भाग व अंग है।** वादस्थ आराजीयात की कृषि भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त की कृषि भूमि है। उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि में वादी का 160 हिस्सा अर्थात संपूर्ण कृषि भूमि मे वादी की 10 बीघा खरीदसुदा खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि में तथा प्रतिवादीगण 1 से 3 की संपूर्ण कृषि भूमि में 202 हिस्सा दर्ज की हुई है। वादस्थ कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की भूमि है, जिस कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के मध्य आज दिन तक राजस्व रेकर्ड में विधिक बंटवाडा नहीं हो रखा है अर्थात वादस्थ भूमि अविभाजित कृषि भूमि है लेकिन वादस्थ कृषि भूमि पर वादी एवं प्रतिवादीगण मौखिक रूप से अपने अपने हक हिस्से की भूमि पर कब्जा काश्त उपयोग उपभोग बिना किसी बाधा के खुलम खुला शांतिपूर्वक तरीके से करते आ रहे है। अतएव वादी इस वादग्रस्त

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (पाली) राज.

कृषि जोत की भूमि का प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 से डिविजन ऑफ होल्डींग बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवा कर अपने 160 हिस्सा अर्थात 10 बीघा कृषि भूमि मौके पर कब्जानुसार अपना हक हिस्सा अलग करवाना चाहते है। वादस्थ आराजीयात की कृषि भूमि संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि होने से एवं विधिक बंटवाडा का राजस्व रेकर्ड में अभाव से मौके पर धोरा पाली एवं सीमाओ को लेकर विवाद होने की संभावना खातेदारान के मध्य रहती है। अतएव वादीगण का यह दावा अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 डिविजन ऑफ होल्डींग बंटवाड़ा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस करवा कर अपना हिस्सा अलग करवा कर अलग से कब्जा प्राप्त करने का प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि पर जब तक बंटवाड़ा नहीं करवा लेवे, जब तब वादग्रस्त कृषि भूमि पर जबरदस्ती काबिज काश्त होने व तारबंदी व निर्माण कार्य करने के अधिकारी नहीं है। वाद हेतु वादी द्वारा दिनांक 28.09.2018 को प्रतिवादी संख्या 1 से 3 को वादस्थ कृषि भूमि का डिविजन ऑफ होल्डींग बंटवाड़ा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस एवं कब्जानुसार आपसी सहमति से तहसील कार्यालय चल कर बंटवाडा करवाने का कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा साफ इंकार हो जाने से वाद कारण बमुकाम ग्राम बासनी मुथा सोजत पैदा हुआ। ग्राम बासनी मुथा तह0 सोजत में होने से न्यायालय हाजा क्षेत्राधिकार का है। वादग्रस्त कृषि जोत की भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाये जाने एवं कृषि भूमि पूर्व में वादी के हक हिस्से में आई भूमि तथा वर्तमान में वादी जिस भूमि पर काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग कर रहा है, उसका 160 हक हिस्सा अर्थात 10 बीघा वादी का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस अलग करवाया जाकर उस पर अलग से वादी का कब्जा कराया जावे। इस प्रकार अधिवक्तागण मय वादी ने अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर माफिक दावा वाद डिक्री किये जाने तथा उक्त भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा किये जाने की ईस्तदुआ की है।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। दिनांक 14.01.2019 प्रतिवादीगण संख्या 01 व 03 की ओर से श्री धर्मीचंद देवासी एवं श्री देवाराम परिहार अधिवक्तागण ने वकालतनामा एवं ज0दा0 पेश किया, की प्रति अधिवक्ता वादी को दिलाई, गई, सा0मि0 है। इस वाद प्रकरण में उभय पक्ष विभाजन हेतु सहमत होने से प्रतिवादी संख्या 02 व 04 द्वारा ज0दा0 पेश नहीं करना चाहने से ज0दा0 बन्द किया जाकर अधिवक्ता उभयपक्षों ने प्रा0 डिक्री जारी किये जाने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तामिली सूचना बावजूद बार-बार आवाजे दिलाये जाने पर भी अनु0 रहने से प्रति0 संख्या 02 व 04 के विरूद्ध कमशः दिनांक 14.01.2019, दिनांक 28.08.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई। अधिवक्ता वादी ने प्रा0 डिक्री जारी करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण विभाजन का है। प्रतिवादी संख्या 02 व 04 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जा चुकी है। उभय पक्ष विभाजन हेतु सहमत है। लिहाजा दिनांक 21.10.2020 को प्रा0 डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रति0 इस अमर सादिर की गई कि सरहद मौजा बासनी मुथा पटवार हल्का आलावास भू0अ0निरी0 सोजत रोड़ तह0 सोजत में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि वर्तमान खाता संख्या 186 के खसरा नंबर 205

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (जिला-पाली) राज.

रकबा 3.6200 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमिका पक्षकारानो में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा कर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा भिजवाने हेतु तहसीलदार, सोजत को आदेशित किया गया। तहरीर पत्रांक/कोर्ट/2021/129 दिनांक 14.01.2021 द्वारा लिखा जाकर विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा चाहा गया। तहसीलदार, सोजत ने पत्रांक/राजस्व/2021/एसपी–1 दिनांक 24.11.2021 द्वारा आरटी0 एक्ट एवं आर0टी0 (राज) नियम 1955 के नियम 18 से 21 अनुसार विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कियो, सा0मि0 है।

पत्रावली आज दिनांक 24.11.2021 को प्रशासन गांवो के संग अभियान, 2021 में आयोजित कोर्ट केम्प– अटल सेवा केन्द्र भैसाणा में पेश होने पर अधिवक्ता मय वादी एवं अधिवक्ता मय प्रतिवादीगण उपस्थित हुए। प्रस्तुत आर0टी0एक्ट0 एवं आर0टी0 नियम के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए प्रेषित किया। उपस्थित उभय पक्षों की उपस्थिति में तैयार किये गये विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा में की गई स्वीकारोक्ति/सहमति अनुसार तथा उभयपक्षों के अधिवक्तागण की दौराने बहस स्वीकारोक्ति की है। जिससे वादी का वाद डिक्री किया जाना तथा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य माफिक राजस्व रेकार्ड पक्षकारानों में उनके हक हिस्से एवं मौका स्थिति अर्थात विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शानुसार बंटवाड़ा किया जाकर खाता व लगान अलग–अलग अर्थात खसरा नम्बर, रकबा, किस्म व लगान अलग–अलग से निर्धारण किये जाने को आदेशित किया जाना उचित समझते है।

–: आदेश :–

अतः डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि मौजा बासनी मुथा पटवार हल्का आलावास भू0अ0निरी0 सोजत रोड़ तह0 सोजत में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि वर्तमान खाता संख्या 186 के खसरा नंबर 205 रकबा 3.6200 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1	सम्पतलाल पुत्र नारायण वगेरह	205	2.02	बा.अ.	8.00
2	रामचन्द्र पुत्र मूलाराम	205/1	1.60	बा.अ.	10.10
	कुल योग	02	3.62	बा.अ.	18.10

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना प्रतिवेदन न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। उक्तानुसार डिकी पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिकी पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशा0 गांवों के संग अभियान–2021
कोर्ट केम्प – भैसाणा
सोजत (जिला-पाली) राज.

यह निर्णय आज दिनांक 24.11.2021 को सरे ईजलास प्रशा0 गांवो के संग अभियान/कोर्ट केम्प, भैसाणा में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
कोर्ट केम्प – भैसाणा

(ओ020 नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
प्रशासन गांवो के संग अभियान /कोर्ट कैम्प– भैसाणा
पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल जांगिड़, आर.ए.एस.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. रामचन्द्र पुत्र मूलाराम जाति माली, निवासी चांदपोल गेट के अंदर, सोजतसिटी तहसील सोजत, जिला–पाली, (राजस्थान)		1. सम्पतलाल 2. बाबूलाल 3. कैलाश पिसरान नारायण जातियान माली, निवासीगण दिल्ली दरवाजा रोड, पशु चिकित्सालय के सामने, सोजतसिटी, तहसील सोजत, जिला पाली। 4 तहसीलदार (भूमिधारक) सोजत

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या :– 141/2018

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजिरी अधिवक्तागण वादी श्री राजेश चौधरी एवं श्री कैलाश दवे एवं श्री धर्मीचंद देवासी एवं देवाराम परिहार अधिवक्तागण प्रति0 संख्या 01 व 03 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि मौजा बासनी मुथा पटवार हल्का आलावास भू0अ0निरी0 सोजत रोड़ तह0 सोजत में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी कब्जा काश्त की कृषि भूमि वर्तमान खाता संख्या 186 के खसरा नंबर 205 रकबा 3.6200 हैक्टर किस्म बारानी दोयम की भूमि का विभाजन प्रस्ताव/बंटवाडा मय नजरी नक्शा के आधार पर खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

क्र.स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1	सम्पतलाल पुत्र नारायण वगेरह नि0 सोजतसिटी	205	2.02	बा.अ.	
2	रामचन्द्र पुत्र मूलाराम नि0 सोजतसिटी	205/1	1.60	बा.अ.	
	कुल योग	2	3.62		

तहसीलदार, सोजत उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। इस निर्णय एवं डिक्री पर्चा व विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार, सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित की जाकर पालना मंगवाई जावे। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद पालना तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/ लेख्य भण्डार जमा हो।

मीजान – मुबलिग – बाबत ––

खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह शून्य फीसदी सालाना ब्याज की तारीख से तारीख वसूलवाली तक शून्य की अदा करें।

बशिब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24.11.2021 को आयोजित प्रशासन गांवो के संग अभियान/कोर्ट कैम्प– भैसाणा जारी की गई।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021
कोर्ट केम्प भैसाणा

मद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प अरजीदावा	शून्य	शून्य	स्टाम्प वकलतनामा	शून्य	शून्य
स्टाम्प वकालतनामा	शून्य	शून्य	स्टाम्प अरजी	शून्य	शून्य
स्टाम्प वजह सबूत	शून्य	शून्य	महनताना वकल	शून्य	शून्य
महनताना वकील पर	शून्य	शून्य	खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य
खर्चा गवाहान	शून्य	शून्य	फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य
फीस कमिश्नर	शून्य	शून्य	बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य
बाबत इजराय हुक्मनामा	शून्य	शून्य	मुतफर्रिक	शून्य	शून्य
मतफर्रिक	शून्य	शून्य			